ई–मेल/आवश्यक/महत्वपूर्ण

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।

ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

ई–मेलः dghealth.uttarakhand@gmail.com, दूरभाषः 0135–2608763, फैक्सः 0135–2608746

पत्र संख्याः–2प/रा0पु0/44/2026/ देहरादून, दिनांक–17 /04/2026

–: कार्यालय ज्ञाप :–

शासन के पत्र संख्या–387775/XXVIII–1/2024/E.No-88396, दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के द्वारा उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड, देहरादून द्वारा साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारियों के रिक्त 287 पदो के सापेक्ष 243 चिकित्सको का चयन किया गया है। उक्त शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2026 द्वारा चिकित्साधिकारियों के समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों/जाति प्रमाण पत्रों तथा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून को निर्देशित किया गया है।

अतः उक्तानुसार प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के साथ संलग्ल सूची में उल्लिखित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आप अपने समस्त मूल अभिलेखों तथा 02 सैटो में छायाप्रति सहित निम्नानुसार अंकित तिथि को उक्त शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के संलग्नक के क्रमांकानुसार इस महानिदेशालय में उपस्थित हो।

1. **कम संख्या–01 से 120 तक दिनांक 20.04.2026 को**
2. **कम संख्या–121 से 243 तक दिनांक 21.04.2026 को**

शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2026 की सूची में अंकित साधारण ग्रेड चिकित्साधिकारी को उक्त निर्धारित तिथि अनुसार अपने समस्त मूल वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु महानिदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड, ग्राम–डाण्डा लखौण्ड, पो0ऑ0–गुजराडा, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून में उपस्थित होना होगा, यदि उक्त निर्धारित अवधि के भीतर अभ्यर्थी समस्त वांछित प्रपत्र/प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु उपस्थित नही होता है तो अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन स्वतः समाप्त माना जायेगा तथा उनका कोई भी दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

पत्र संख्याः–2प/रा0पु0/44/2026/ 9411 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार नव नियुक्त चिकित्सको के अभिलेखों की जॉच हेतु बैठने की व्यवस्था, करना सुनिश्चित करेगें।
2. शासनादेश दिनांक 16 अप्रैल, 2026 के साथ प्राप्त सूची में उल्लिखित चयनित चिकित्साधिकारी को ई–मेल/दूरभाष/व्हाट्सप्प के माध्यम से इस आशय से प्रेषित कि उक्तानुसार उल्लिखित तिथियों को मूल अभिलेखों तथा 02 सैटो में छायाप्रति सहित इस महानिदेशालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

(सुनीता टम्टा)
महानिदेशक।

Scanned with OKEN Scanner